

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
कार्यालय आदेश

सं०-०७/स्था० (से० संपु०)-०८-०६/२०१६, परि०

पटना, दिनांक-

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्र सं०-१०५१ (अनु०), दिनांक-०६.०६.२०१९ के आलोक में राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभागीय परीक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम में कोई अंश सम्मिलित करने अथवा हटाने तथा अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं में परिवर्तन हेतु सचिव, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति में परामर्श हेतु श्री पंकज कुमार, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को परिवहन विभाग का नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।

२. प्रस्ताव पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- ८/११/१९

ज्ञापांक-

5304

प्रतिलिपि- संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को उनके पत्र सं०-१०५१ (अनु०), दिनांक-०६.०६.२०१९ के क्रम में सूचनार्थ/संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित), परिवहन विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।